

छत्तीसगढ़ संवाद
 (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए "स" श्रेणी के मुद्रकों के इम्पेनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें

क्र.	नियम एवं शर्तें
1	मुद्रकों को निविदा के साथ सुरक्षा नियंत्रण के रूप में "छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर" के नाम से देय "स" श्रेणी के लिये राशि 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 590/- (पांच सौ नब्बे रुपये, वापसी योग्य नहीं) का डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध करना होगा।
2	"स" श्रेणी के लिये किसी चार्टड अकाउंटेंट से सत्यापित गत वर्ष 2018-19 का कम से कम 5 लाख रुपए का मुद्रण कार्य का टर्न ओवर होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। C.A. द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र में मुद्रण कार्य से सम्बंधित टर्नओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।
3	"स" श्रेणी के मुद्रकों को जीएसटी पंजीयन अनिवार्य नहीं है। पैन कार्ड, वित्तीय वर्ष 2018-19 का इन्कमटेक्स रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा। यदि मुद्रक के पास जीएसटी पंजीयन हो तो प्रमाण पत्र एवं गत के जीएसटी रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
4	निविदा दो लिफाफो मे प्रस्तुत करना होगा, एक लिफाफा टोक्नेकल बिड तथा दूसरा लिफाफा फाईनैशियल बिड का होगा, टेक्निकल बिड लिफाफा मे स्वयं के स्वामित्व के वांछित मशीनों के दस्तावेज़ कि प्रतियाँ चालू हालत में मशीनों का 360 डिग्री में विडि ओ जिसमे मुद्रणालय के साथ- साथ चालू प्रक्रिया में मशीन स्पष्ट दिखता हुआ DVD मे तथा अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, PAN कार्ड गतवर्ष का इनकम टेक्स एवं जीएसटी रिटर्न चालान की प्रतियाँ (जीएसटी पंजीयन हो तो) अन्य दस्तावेज़ तथा दुसरे लिफाफे मे फाईनैशियल बिड हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र मे दर प्रस्तुत करना होगा।
5	निविदा द्वारा इम्पेनलमेंट की प्राक्रिया प्राथमिक तौर पर दर निधारण के लिए है।
6	मुद्रकों को निर्धारित निविदा प्रपत्र में वित्तीय दरें छत्तीसगढ़ के वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में ऑनलाइन भरना हैं एवं दर ऑनलाइन सबमिट करने के बाद प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी फाईनैशियल बिड लिफाफा में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। टेक्निकल बिड के सभी वांछित दस्तावेज़ ऑफलाइन टेक्निकल बिड लिफाफा में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
7	निविदा मे प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित दरो मे काये करने मे सहमत मुद्रकों की 3 वर्षों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। न्यूनतम दर वाले मुद्रकों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता अनुसार समय सीमा मैं कार्य संपादन हेतु न्यूनतम निर्धारित दरो मे पैनल के मुद्रकों से कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8	निविदा के साथ चाहे गए सभी प्रकार के पेपर के नमूने जिसमे गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के साथ संस्था की सील लगी हुई हो संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
9	लेखन और मुद्रण कागज के गुणवत्ता कम से कम भारतीय मानक IS-1848; 2007 अनुसार होना अनिवार्य है परन्तु Brightness 82 % से अधिक हो या उससे भी उच्च गुणवत्ता हो।
10	मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता, आकार-प्रकार एवं पृष्ठ संख्या मे परिवर्तन होने पर न्यूनतम दर से आनुपातिक दर पर गणना की जाएगी एवं गुणवत्ता मे कमी पाये जाने पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त न्यूनतम 2 से अधिकतम 10 प्रतिशत तक पैनाल्टी काटी जायेगी। पैनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा मुद्रण समय सीमा से विलंब होने पर विलंब अवधि के प्रतिदिन के आधार पर पैनाल्टी काटने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
11	जिन किस्मों के कागजो मे मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है उन्हों किस्मों के कागज मात्रा तथा आकार-प्रकार, (BIS (Bureau of Indian Standards) writing and printing paper specification) एवं निर्धारित समय सीमा मे मुद्रण सामग्री प्रदाय करनी होगी। मुद्रक द्वारा बिना लिखित अनुमति के मुद्रण कायदिश में उल्लेखित गुणवत्ता मे परिवर्तन करने पर छत्तीसगढ़ संवाद मुद्रकों के देयकों का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

12	मुद्रक द्वारा प्रस्तुत देयक में मुद्रित सामग्रियों की गुणवत्ता , मात्रा एवं दर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, देयक के साथ मुद्रण सामग्रियों के नमूने की प्रतियों में संबंधित विभाग के प्राप्तकर्ता का नाम,पद नाम एवं कार्यालय का सील लगा हुआ मुद्रित नमूनों की तीन - तीन प्रतियाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा , आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग से या मुद्रक से नमूने की अलग से प्रतियाँ परीक्षण हेतु प्राप्त की जा सकेगी, सेपलिंग के दौरान गुणवत्ता/आकार-प्रकार में कमी पाई जाने पर जो सबसे खराब नमूना होगा, उसी नमूने के आधार पर दर गणना कर देयक सत्यापित किया जायेगा। इस स्थिति में सामग्री एवं देयक को मान्य किया जाना छत्तीसगढ़ संवाद की बाध्याता नहीं होगी।
13	मुद्रण दरे F.O.R. रायपुर / नवा रायपुर अटल नगर होगी अथोत सुपुद्गो का स्थल स्थानीय (रायपुर / , नवा रायपुर अटल नगर मे) होने की स्थिति मे मुद्रकों / एजेंसियों को अलग से किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा, मुद्रकों को मुद्रित सामग्रियों सम्बंधित विभागों/ संस्थाओं को रायपुर / , नवा रायपुर अटल नगर के किसी भी स्थान पर स्थित कार्यालयों/गोडाउन में निर्धारित/ वांछित स्थानों में उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसके लिए न्यूनतम दरो के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
14	मुद्रक को नियत स्थान तक मुद्रित सामग्री पहुंचाने मे पूरी सुरक्षा बरतनी होगी मुद्रित सामग्री मे किसी प्रकार की क्षति अथवा कमी पाये जाने की स्थिति मे प्रमाणित नुकसान के लिए मुद्रक स्वयं जिम्मदार होगा ।
15	संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गए सीडी / डिजाइन मे ही मुद्रण करना होगा तथा मुद्रक को स्वीकृत दर के अलावा अलग से फिल्म प्लेट पेपर,बटर पेपर अन्य खर्च के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी । अतः निविदा मे समस्त व्यय आदि को शामिल कर दरे प्रस्तुत करे। जीएसटी से सम्बन्धित देयकों मे टैक्स का उल्लेख पृथक से करना होगा एवं समय-समय पर मुद्रको को टैक्स सम्बन्धी रिटर्न एवं चालान की प्रतियाँ अनिवार्यतः छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध करना होगा ।
16	समय – सीमा व वांछित गुणवत्ता आकार – प्रकार तथा निर्धारित मात्रा मे सामग्रियों का मुद्रण करना अनिवार्य है, अन्यथा कायदिशा निरस्त कर मुद्रक को एक वर्ष के लिए काली सूची मे डाला जा सकता है एवं मुद्रक के जमा अमानत राशि राजसात किया जा सकता है ।
17	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्वावित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची मे डाले गये मुद्रक निविदा मे भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध मे मुद्रक को नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को कहीं भी काली सूची मे नहीं डाला गया है।
18	प्रकाशन सामग्री का मुद्रण कराने वाले विभाग/ शासकीय संस्थान से देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित मुद्रकों के देयकों का भुगतान किया जाएगा , कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । मुद्रकों द्वारा सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् 21 दिवस के भीतर चालान, सत्यापित नमूना के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा । एवं जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर मुद्रक को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा ।
19	छत्तीसगढ़ संवाद को मुद्रकों के मुद्रणालयों का आकास्मिक निरीक्षण करने , मुद्रित सामग्रियों का नमूना लेकर सभी प्रकार की गुणवत्ता परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
20	निविदा मे अंकित दरे एवं शतों मे से किसी भी शते को पूण्ठतः अथवा अंशत काये की ताल्कालिक एवं विशेष परिस्थितियो मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शिथिल किया जा सकेगा ।
21	निविदा स्वीकार करने / अस्वीकार करने तथा नियम शर्तों को शिथिल करने का संपूर्ण आधेकार मुख्य कायेपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा ।
22	मुद्रित सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जाँच का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा आवश्यकता पड़ने पर संवाद की समिति अथवा मुद्रण कार्य विशेषज्ञ अथवा इस संबंध मे शासन द्वारा अधिकृत जाँच एजेंसी / प्रयोगशाला में जाँच कराई जा सकेगी, जिसका व्यय मुद्रक के देयक में काटा जायेगा ।
23	निविदा दरे निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी तीन वर्षे के लिए मान्य रहेगी आवश्यकता होने पर निविदा अवधि मे वृद्धि करने या कम करने अथवा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा ।
24	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा मुद्रकों को जीएसटी रिटर्ने की प्रतियाँ को छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराना अनिवार्य है अन्यथा अन्य देयकों / जमा अमानत राशि में काटी जाएगी । समय - समय पर निर्धारित प्रारूप मे जमा रिटर्न की प्रतियाँ भी जमा करना अनिवार्य है ।

25	निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी विवरण "स" श्रेणी का है।
26	मुद्रक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
27	जो प्रिंटस प्रस्तावित कार्य के लिए यदि L-1 है और कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण से जाहिर करता है तो उसे तीन माह तक कोई कार्य नहीं दिया जायेगा, संवाद उस प्रिंटर के L-1 दर पर पैनल के अन्य से भी कार्य कराने के लिए स्वतंत्र होगा।
28	संवाद द्वारा मुद्रण के लिए प्रदाय की गई मुद्रण सामग्री की सी.डी. / डी.वी.डी. /बटर की गुणवत्ता का अपने स्तर पर परीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करना मुद्रक की जिम्मेदारी होगी।
29	मुद्रित सामग्री की आपूति पश्चात 21 दिवस तक मुद्रक द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं करने पर मुद्रक को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नहीं किया जायेगा।
30	मुद्रक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
31	आबिटेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आबिट्रिशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
32	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, अटल नगर
जिला - रायपुर